UPBP010022412026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम/ अपर सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या(कम्प्यूटर)-819/2026

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या(रजिस्टर)-119/2026

1-**अनिल कुमार** पुत्र राजेश निवासी ग्राम बकौली राजपुर थाना गैसड़ी जिला बलरामपुर ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ 0 प्र 0 राज्य .....विपक्षीगण।

अपराध सं०-35/2026
अन्तर्गत धारा-108 बी.एन.एस. व धारा 3(2)V एस.सी./ एस.टी. एक्ट
थाना-कोतवाली गैसड़ी
जनपद-बलरामपुर।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **अनिल कुमार** की ओर से मु०अ०सं०-अपराध सं०-35/2026 अन्तर्गत धारा-108 बी.एन.एस. व धारा 3(2)V एस.सी./एस.टी. एक्ट थाना-कोतवाली गैसड़ी जनपद बलरामपुर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा की ओर से इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वादी मुकदमा/प्रार्थी राजेन्द्र प्रसाद पुत्र राम दुलारे निवासी ग्राम बकौली राजपुर थाना कोतवाली गैसड़ी वलरामपुर (पासवान (अनसूचित जाति) का रहने वाला हूँ। प्रार्थी अपने रोजी रोटी के सिलसिले में मुंबई महराष्ट में रहता है, और प्रार्थी की पत्नी क्रान्ती आंगनवाणी सहायक के पद पर सुगाँव मझौली में तैनात है । प्रार्थी के पास चार बच्चे थे जिसमें सबसे बड़ी लड़की सपना जिसकी उम्र करीव 16 वर्ष दूसरी लडकी सालू जिसकी उम्र करीव 15 वर्ष लडका सिवा उम करीव 10 वर्ष तथा सवसे छोटा बेटा जिसकी उम्र करीव 4 वर्ष है, दिनांक 11-04-26 को प्रार्थीनी अपने घर पर राजगीर मिस्त्री लगाकर अपने घर मे प्लास्टर का कार्य करा रहा था। प्रार्थी की पत्नी अपने ड्यूटी के लिए ग्राम सुगाव चली गयी घर पर बच्चे तथा में मिस्त्री के साथ लगकर प्लास्टर का कार्य करा रहे थे जिसमें मेरी छोटी बेटी सालू सहयोग कर रही थी तथा बडी वेटी सपना खाना बना रही थी। बीच-बीच में प्लास्टर के कार्य में भी सहयोग करा रही थी जब हम लोग प्लास्टर का कार्य कर रहे थे तो उस बीच प्रार्थी का पडोसी अनिल कुमार विश्वक्रमा पुत्र पप्पू विश्वक्रमा बार-बार प्रार्थी के घर के सामने आता जाता था। प्राथी की बेटी सपना मृतका

थोड़ा असहज हो जाती लेकिन प्रार्थी को इस बात का कोई भाव नही था कि इस अनिल विश्वकर्म का मेरे बेट सपना से कोई अवैध सम्बन्ध था। घटना से करीव आठ नौ माह पूर्व अनिल कुमार ने मेरी बेटी का फोटो स्टेटस मोबाइल पर गाने के साथ लगाया, जिस पर प्रार्थी की पत्नी ने विरोध किया तो माफी मागते हुए स्टेटस हटाने को कहा और हटा दिनांक 11-4-26 को प्रार्थी की बेटी सपना समय करीब 10 वजे सुबह जब प्रार्थी अपने प्लास्ट के कार्य में व्यस्त था उसी समय प्राथी की बेटी सपना मकान के पिछले अंतिम कमरा में जाकर साडी से फन्दा लगाकर आत्म हत्या कर लिया प्रार्थी की छोटी बेटी पानी मांगते हुए जब कमरे में गयी तो देखा कि सपना छत के कुन्ठे से लटकी हुई है प्रार्थी को बुलाया तो प्रार्थी साडी को काटकर सपना को उतारा तो देखा कि सपना की मृत्यु हो गयी है। इस वात की जानकारी जब मुहल्ले वालो को हुई तो मुहल्ले वाले इक्ट्ठा होकर देखने लगे प्रार्थी की छोटी बेटी सालू ने अपनी माँ को फोन लगाकर घटना की सूचना दिया कुछ समय बाद वह भी घर पर आ गयी प्रार्थी तथा प्रार्थी का पूरा परिवार सदमें में हो गया इसी बीच अनिल कुमार का पिता राजेश (उर्फ पप्पू विश्वकर्मा आया और प्रार्थी तथा परिवार वालो को डरवाया कि लड़की का लाश जल्दी से जला दो नहीं तो पूरा परिवार फंस जायेगा । चूँकि उस समय घटना के बाद प्रार्थी को सोचने समझने की स्थित बहुत खराब हो गयी और गॉव के लोग तरह-तरह के सलाह देते रहे प्रार्थी ने लोगों से कहा जैसा उचित हो बैसा आप लोग करो इसी वीच पप्पू विश्वकर्मा जाकर कफन का कपड़ा मेरे भाई से पैसा मांगकर ले आया और उपस्थित गाव वालो से पैरवी कर मेरी बेटी सपना की लाश जलवा दिया। घटना के बाद से प्रार्थी का पूरा परिवार सदमे में रहते हुए सोच रहा था कि मेरी बेटी ने ऐसा कदम क्यू उठाया अभी एक सप्ताह पूर्व जब प्रार्थी की बेटी सालू घर में सफाई कर रही थी तो वह बड़ा बाक्स के नीचे उसे एक छोटी मोबाइल व एक पावर बैंक मिला बरामद मोवाइल में सिम 90449XXXXX अनिल कुमार विश्वकर्मा जिस सिम मोबाइल से बात करता था उसका नम्बर 91203XXXXX सोनू विश्वकर्मा के नाम का है जो मेरी बेटी सपना के आत्महत्या करने में अनिल कुमार शर्मा के द्वारा प्रताडना के कारण हुआ है जिसका जांच कराया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर जाँच कराकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। जिस पर प्रश्नगत मुकदमा पंजीकृत हुआ ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इस जमानत प्रार्थना पत्र के अलावा कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तारी से पूर्व प्रार्थी ने अग्रिम जमानत का आवेदन किया था और जमानत आवेदन की सुनवाई पूर्ण होने से पूर्व पुलिस ने प्रार्थी को गिरफ्तार कर लिया इसलिए यह जमानत आवेदन किया है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जमानत का आधार लिया गया है कि प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी को वादी ने गलत ढंग से अभियुक्त बनाया है। प्रार्थी ने मृतका का कोई फोटो गाने के साथ स्टेटस पर नहीं लगाया था । प्रार्थी के मृतका के घर के सामने से बार-बार नहीं आया गया है। मृतका के आत्म-हत्या के दुष्प्रेरण का कोई कोई साक्ष्य नहीं है । वादी ने स्वयं प्रार्थना पत्र में लिखा है कि

प्रार्थी का भाव मृतका से अवैध संबंध का नहीं था। मृतका की मृत्यु वादी के घर पर हुई है इसलिए कोई उपधारणा प्रार्थी पर लागू नहीं हो सकता है। मृतका का कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ । प्रथम सूचना रिपोर्ट 1 माह के देरी से दर्ज कराया गया है। कोई दुराशय कथित घटना का दर्शित नहीं है। स्थानीय नेताओ के प्रभाव में गलत ढंग से बढ़ाचढ़ा कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। विवेचक द्वारा सही एवं निष्पक्ष विवेचना नहीं किया जा रहा है। विचारण से पूर्व निर्दोषता का सिद्धान्त लागू होता है। प्रार्थी के विरुद्ध धारा 108 BNS व 3 (2) (V) Sc/st एक्ट का कोई अपराध नहीं बनता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठे तथ्यो पर आधारित है। प्रार्थी का पूर्व दोष सिद्ध नहीं है। प्रार्थी आरोप विरचित होने के समय और 351 B.N.S.S., निर्णय के समय प्रार्थी न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा और प्रार्थी कोई स्थगन प्रार्थनापत्र नहीं प्रस्तुत करेगा। साक्ष्य के समय प्रार्थी स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। प्रार्थी का जमानत संभ्रांत व्यक्ति लेने को तैयार है। प्रार्थी माननीय न्यायलाय के शर्तों का पालन करेंगा। और साक्ष्य प्रभावित नहीं करेंगा | प्रार्थी जांच विचारण अन्वेषण मे सहयोग करेगा और माननीय न्यायालय के शर्तों का पालन करेगा और तारीख पेशी पर आता रहेगा । विवेचना मे जब, जहॉ, जिस स्थान पर पूछताछ या विवेचना मे जहॉ विवेचक बुलायेगा प्रार्थी वंहा उपस्थित रहेगा और विवेचना मे सहयोग करेगा। उपरोक्त कथनों के तर्क प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी/ अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

वादी मुकदमा/पी़डितपक्ष पर नोटिस तामीला पर्याप्त है ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लिखित तथ्यों के तर्क प्रस्तुत किए गये और प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मृतका से घटना से पूर्व अवैध सम्बन्ध हेतु कई बार दूरभाष से बातचीत की गयी, जिसके फलस्वरूप मृतका द्वारा साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या कारित किया गया प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किए गये अपराध के गम्भीर व अजमानतीय होने के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र के निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध केसडायरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर घटना दिनांक-11.06.2026 के पूर्व विवेचक की केसडायरी के अनुसार अभियुक्त द्वारा मृतका से लगभग 09 बार दूरभाष से बातचीत करने का साक्ष्य संकलन का तथ्य एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराने एवं मृतका का पोस्टमार्टम न होने सम्बन्धी अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्क के खण्डन में वादी के प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अंकित कराने कि मृतका की मृत्यु होने पर अभियुक्त के पिता राजेश उर्फ पप्पू विश्वकर्मा घटनास्थल पर आकर मृतका के परिवार वालों को फंस जाने का भय दिलाते हुए फौरन मृतका के लाश का अंतिम संस्कार करने का दबाव

बनाने एवं कफन का कपड़ा स्वयं लाने के तथ्य से प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से कराये जाने एवं पोस्टमार्टम न कराना सहज एवं स्वाभाविक प्रतीत होता है तथा अभियुक्त पर मृतका को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किए जाने का अपराध कारित किये जाने का धारा-108 बी.एन.एस. व धारा 3(2)V एस.सी./एस.टी. एक्ट का अभियोग है तथा प्रश्नगत अभियोग आजीवन कारावास तक के दण्ड से दण्डनीय व गम्भीर प्रकृति का है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर टिप्पणी किए बिना इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत स्वीकार किए जाने का आधार पर्याप्त नहीं पाया जाता है ।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **अनिल कुमार** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र सम्बन्धित मु०अ०सं०-35/2026 अन्तर्गत धारा-108 बी.एन.एस. व धारा 3(2)V एस.सी./एस.टी. एक्ट थाना-कोतवाली गैसड़ी जनपद बलरामपुर निरस्त किया जाता है।

दिनांकः24.07.2026

प्रभारी विशेष न्यायाधीश
(अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
बलरामपुर ।

Digitally signed by RAHUL SINGH
Date: 2026.07.24 15:45:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court